इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 नवम्बर 2011-कार्तिक 23, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 52-एफ-1-20-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत पटेरा, जिला दमोह को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद्, पटेरा अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

| क्र. | जিলা | तहसील | क्षेत्र का नाम | सम्मिलित क्षेत्र का विवरण |
|------|------|-------|-------------------|----------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | दमोह | पटेरा | नगर परिषद्, पटेरा | ग्राम पंचायत, पटेरा का संपूर्ण क्षेत्र |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 53-एफ-1-33-2008-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् बिछुआ अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

| 第 . | জিলা | तहसील | क्षेत्र का नाम | सम्मिलित क्षेत्र का विवरण |
|------------|------------|-------|-------------------|----------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | छिन्दवाड़ा | बिछुआ | नगर परिषद्, बिछुआ | ग्राम पंचायत, बिछुआ का संपूर्ण क्षेत्र |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.